न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/21 दायरा दिनांक : 10.02.2025

उनवान

मोतीलाल पुत्र चन्दा, जाति भील, निवासी रानीपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
.... अपीलांट

बनाम

1. कालू लाल पुत्र हर लाल, जाति भील, निवासी सलावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावड, राज०
2. शिमला बाई पुत्री हरलाल, जाति भील, निवासी हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, कच्ची बस्ती, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
3. गुड्डी बाई पुत्री चन्दा, बेवा पूरीलाल (मृतक) जरिये कायम मुकमान
   3/1 जीतू लाल माता गुड्डी बाई पुत्र पूरीलाल, उम्र 14 वर्ष, (नाबालिग) जरिये वली सरंक्षक बहन कुसुम बाई
   3/2 कुसुम बाई माता गुड्डी बाई पुत्री पूरीलाल, पत्नी मेहताब सिंह
   अकवाम–जाति भील, निवासी सेमला बैर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज०
4. धापू बाई पत्नी भीमराज, जाति मीणा, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5. धापू बाई पुत्री कंवरिया जोजे प्रभूलाल, जाति भील, निवासी रानीपुरिया, तहसील अकलेरा (मृतक) जरिये कायम मुकाम–
   5/1 बद्री बाई माता धापू बाई पुत्री प्रभूलाल जोजे मांगीलाल, जाति भील, निवासी रानीपुरिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
   5/2 कल्याणी बाई माता धापू बाई पुत्री प्रभूलाल जोजे राधेश्याम, जाति भील, निवासी बडबद (नयागांव), तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड राज०
   5/3 प्रेम बाई माता धापू बाई पुत्री प्रभूलाल जोजे जमनालाल, जाति भील, निवासी चुरेलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. प्रेम बाई पत्नी रामसिंह, जाति मीणा, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7. सुगनाबाई पत्नी मदनलाल, जाति मीणा, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 06.08.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 08/दावा/2023 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम ल्हास, तहसील अकलेरा के माल में वादीगण के शामलाती खाते व कब्जे में नई खतोनी संख्या 270 की खसरा नम्बर 1250 की 2.8571 हेक्टेयर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है, जो अवैधानिक है। विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करने के बाद अपीलान्ट को दावे की सुनवाई के लिये दिनांक 06.01.02023 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.03.2023 पर हाजिर होने बाबत जो सम्मन जारी किया उस पर तामील के मामले में उचित अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट की तामील ही मान लिया जबकि अपीलान्ट मोतीलाल तामील की दिनांक को बाहर गया हुआ था सम्मन की प्रति उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई केवल मांगी लाल जीजा का नाम लिखा हुआ है एवं मांगीलाल नाम के व्यक्ति ने अदालत के सम्मन के बाबत अपीलांट को कभी कोई सूचना नहीं दी एवं सम्मन पर तहसीलदार का वेरिफिकेशन भी नहीं है इस अवैधानिक तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है जो अवैधानिक है। विवादित आराजी पुश्तैनी है और पक्षकारान जाति से भील अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं इसलिय विवादित मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते है कानूनन विवादित मामले में भाई होने की स्थिति में बहनों व बुआ का कोई हक नहीं बनता। विवादित आराजी कंवर लाल के खातेदारी जिसकी मृत्यु बाद उसके पुत्र चन्दालाल की बहन चम्पी बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में अवैधानिक रूप से दर्ज किया गया एवं चम्पीबाई की मृत्यु के बाद उसकी पुत्र/पुत्री कालूलाल व शिमला बाई वादीगण/प्रतिवादी नं० 1 व 2 का नाम भी गलत दर्ज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया गया है, गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण का विवादित आराजी पर कोई हक नहीं बनता इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गोर नहीं। फरमाया। अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यायहित मे जवाब साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। निर्णय के मुताबिक प्रतिवादी कम–5 बिशनी बाई फौत हो चुकी है एवं उसकी पुत्री गुड्डी बाई भी फौत हो चुकी है जिसके कायम मुकमान 5/1 जीतूलाल एवं 5/2 कुसुम बाई अपील में पक्षकार बनाये हुये हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2024 निरस्त फरमाया जावे। एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमान्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट को जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.12.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ल्हास, तहसील अकलेरा की खसरा नम्बर–1250 की 2.8571 हैक्टेयर आराजी स्थित है जिसमें वादीगण का 1/10 हिस्सा है। आराजी शामलाती रहने से आराजी के विकास में बाधा आती है इसलिये 1/10 हिस्से का विभाजन किया जाकर कब्जा सम्भलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित कर दी। इसलिए अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करने के बाद अपीलान्ट मोतीलाल को दिनांक 01.03.2023 की पेशी पर हाजिर होने बाबत् सम्मन जारी किया गया। उक्त सम्मन की प्रति तामील कुनिन्दा के द्वारा अपीलान्ट को व्यक्तिगत रूप से नहीं दी गई, सम्मन पर स्पष्ट रिपोर्ट है कि मोतीलाल बाहर गांव जाने के कारण उसके जीजा मांगीलाल को प्रति दी गई। मांगीलाल नाम के व्यक्ति के द्वारा कभी भी अपीलान्ट को इस सम्मन के बारे में कोई सूचना नहीं दी एवं सम्मन के पीछे तहसीलदार अकलेरा के कोई हस्ताक्षर नहीं है। मांगीलाल को अपीलान्ट के परिवार का व्यक्ति नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अवैधानिक तामील के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये हैं। इसलिए अपीलान्ट अपनी आपत्तियां एवं साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकता। विवादित आराजी पुश्तैनी है और इस आराजी के मामले में 1/10 हिस्से का विवाद है। इस 1/10 हिस्से की आराजी कंवरलाल के खातेदारी की थी।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित है कि पक्षकारान जाति से मीना है जो अनुसूचित जनजाति के तहत आते हैं। पारिवारिक शजरे के मुताबिक कंवरलाल की मृत्यु के बाद कानूनी प्रावधानों के विपरीत वादीगण/रेस्पोडेन्ट कालूलाल व शिमला बाई की मां चम्पी बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अवैध रूप से अंकित किया है क्योंकि कंवरलाल खातेदार के पुत्र होने की स्थिति में पुत्रियों का कोई हक व अधिकार नहीं बनता। अनुसूचित जनजाति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते, ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। परन्तु निर्णय एवं डिक्री एक तरफा होने से अपीलान्ट अपनी जवाबदेही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर

वादीगण की मां चम्पी बाई का राजस्व रिकॉर्ड में नाम काली बाई पुत्री कंवरिया था जो नामांतरण संख्या–1542 दिनांक 16.09.2022 से स्पष्ट है एवं शुद्धि पत्र के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम चम्पी बाई पत्नी हरलाल कर दिया गया और चम्पी बाई की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण/रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया जो कानूनन अवैधानिक इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और अपीलान्ट के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं।

न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थनापत्र ऑर्डर 41 नियम–27 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाये जाकर अपील का मेरिट पर निर्णय फरमाया जावे ।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2024 निरस्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट को जवाबदेही एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ प्रकरण का पुनः मेरिट पर निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में कालूलाल रेस्पोडेंट एवं अन्य ने ग्राम ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड की खसरा नं. 1250 रकबा 2.8571 हेक्टर आराजी स्थित है के विभाजन का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपने 1/10 हिस्से के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.03.2023 को मोतीलाल प्रतिवादी अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था जिसकी विधिवत इत्तला होने के बाद साक्ष्य लेकर रेस्पोडेंट वादी के पक्ष में दिनांक 10.09.1994 को निर्णय एवं डिक्री पारित किया था जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन एवं संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कालूलाल एवं अन्यके रिकार्ड एवं साक्ष्य लेकर तथा कानून का अध्ययन करने के पश्चात न्यायालय ने उक्त डिक्री एवं निर्णय विधिवत रूप से पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है इसलिए उक्त निर्णय विधिवत है एवं संशोधन का मोहताज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.09.2024 को डिक्री एवं निर्णय पारित किया था, जिसकी अपीलांट के द्वारा दिनांक 27.01.2025 को अवधि बाधित अपील पेश की थी जो कि कानूनन एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों साक्ष्य एवं कानून के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है जो उचित एवं विधिवत है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः रेस्पोडेंट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट सव्यय सहित निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस मौखिक कथन भी किया कि मोतीलाल अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नं. 6 था जो दावे में पक्षकार था वही अपील में है और इसी पर प्रोपर तामील हुई है। बहस के बाद यदि कोई पक्षकार मर जाता है तो उसके कायम मुकामान बनाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1988 (एच.सी.) पेज 143, आर.आर.डी. 1992 पेज 334, सी.पी.सी. 1908 पेज 358 की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम ल्हास तहसील अकलेरा में नई खतौनी संख्या 270 की खसरा नं. 1250 की 2.8571 हैक्टर आराजी वादीगण के शामलाती खाते में स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/10 हिस्सा है। शामलाती खाते में रहने से आपस में आराजी को काश्त करने तथा विकास करने में बाधा आती है। इस कारण वादीगण उक्त वर्णित आराजी में अपने हिस्से की 1/10 भाग आराजी का बंटवारा करा कर अपने पृथक खाते दर्ज कराने तथा नाप कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण के उक्त दावे पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 में अंकित किया कि ग्राम ल्हास तहसील अकलेरा की खतौती संख्या 270 की खसरा नं. 1250 की 2.8571 हैक्टर आराजी में से वादीगण को 1/10 भाग आराजी पृथक दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करे।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 10.09.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण कम 6 के द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 10.02.2025 को प्रकरण संख्या 2025/21 से अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को दावे की सुनवाई के लिए दिनांक 06.01.2023 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.03.2023 पर हाजिर होने बाबत् जो सम्मन जारी किया उस पर तामिल के मामले में उचित अवलोकन किये बिना ही अपीलांट की तामील होना मान लिया जबकि अपीलांट मोतीलाल तामिल की दिनांक को बाहर गया हुआ था सम्मन की प्रति उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गयी केवल मांगीलाल

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जीजा का नाम लिखा हुआ है एवं मांगीलाल नाम के व्यक्ति ने अदालत के सम्मत बाबत् अपीलांट को कभी कोई सूचना नहीं दी एवं सम्मन पर तहसीलदार का वेरिफिकेशन भी नहीं है। इस अवैधानिक तामिल के आधर पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई जो अवैधानिक है। विवादित आरजी पुश्तैनी है और पक्षकारान जाति से भील अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। इसलिऐ विवादित मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। कानूनन विवादित मामले में भाई होने की स्थिति में बहनों व बुआ का कोई हक नहीं बनता। विवादित आराजी कंवरलाल के खातेदारी की है, जिसकी मृत्यु बाद उसके पुत्र चन्दालाल की बहन चम्पी बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में अवैधानिक रूप से दर्ज किया गया एवं चम्पी बाई की मृत्यु के बाद उसकी पुत्र/पुत्री कालूलाल व शिमला बाई वादीगण/प्रतिवादी नं. 1 व 2 का नाम गलत दर्ज किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 ग्राम ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड प्रदर्श पी–1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 1250 रकबा 2.8571 हेक्टर में वादी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का 1/20, 1/20 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट उक्त विवादित आराजी के सहखातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलांट पर न्यायालय में उपस्थित होने हेतु प्रेषित सम्मन की तामील व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई है। अपीलांट के साथ ही अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण जवाब दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है। जवाबदावे के अभाव में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पाये हैं।

अपीलांट द्वारा आर्डर 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण सं. 1542 दिनांक 15.09.2022 ग्राम ल्हास, तहसील अकलेरा के अनुसार विवादित आराजी के 1/10 हिस्से पर चम्पाबाई पत्नी हरलाल का नाम दर्ज हुआ है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार चम्पाबाई पुत्री कंवरलाल पत्नी हरलाल की मृत्यु दिनांक 09.04.2020 को हो चुकी है। अपीलांट द्वारा लिखित बहस में अंकित पारिवारिक सजरे के अनुसार चम्पाबाई कंवर लाल की पुत्री है एवं वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 चम्पाबाई के वारिसान है। इसी प्रकार अपीलांट कंवरलाल के मृतक पुत्र चंदालाल का वारिस है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट कम 1 व 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से उनके ऊपर ओल्ड हिन्दु लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। ओल्ड हिन्दु लॉ के अनुसार अनुसूचित जनजाति में पुत्र के होने पर पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में अधिकार प्राप्त नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय इन विधिक प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी हुई है एवं अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। अतः पक्षकारान में भविष्य में होने वाले विवादों की बाहुलता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर, प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.09.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा